क्रम-संख्या----269

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1— खंड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 18 नवम्बर, 1976

कार्तिक 27, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 4881/सत्रह–वि0–1– 166-76

लखनऊ, 18 नवम्बर, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 16 नवम्बर, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1976]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम 24 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ञ-1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

"(ञ-2) 'निरीक्षक' का तात्पर्य धारा 11 के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति या पदयुक्त किसी अधिकारी से है।"

नई धारा 22-क और 22-ख का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:--

"22-क --(1) राज्य सरकार द्वारा सामान्य रूप से मामलों के या मामलों के किसी वर्ग के संबंध में इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त निरीक्षक, जिस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग ऐसा अधिकारी करता है उसकी सीमा के भीतर, किये गये, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण कर सकता है।

इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का अन्वेषण करने हेतु कतिपय अधिकारियों की शक्ति

(2) कोई ऐसा अधिकारी ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 12 के उपबन्धों के अधीन किसी संज्ञेय अपराध के लिए कर सकता है।

22-ख--पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग का प्रत्येक अधिकारी निरीक्षक को इस अधिनियम के उपबन्धों के सभी उल्लंघनों की, जो उसकी जानकारी में आयें, तुरन्त सूचना देने और निरीक्षक द्वारा अनुरोध किये जाने पर इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उसे सहायता देने के लिये

कतिपय विभागों के अधिकारियों का अपराधों की रिपोर्ट करने और निरीक्षक को सहायता देने का कर्तव्य

बाध्य होगा।"

No. 4881/XVII-V-1--161-76

Dated Lucknow, November 18, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Kharid Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 34 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 16, 1976 :

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE (AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. Act no. 34 of 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 1976.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 24 of 1953.

2. In section 2 of the U. P. Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause (*j*-1), the following clause shall be *inserted,* namely :—

"(*j*-2) 'Inspector' means any person appointed or any officer designated as inspector under section 11;"

3. *After* section 22 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :—

Insertion of new sections 22-A and 22-B.

"22-A. (1) An Inspector specially empowered in relation to cases generally or to any class of cases by the State Government, by notification, in that behalf, may investigate into any offence punishable under this Act committed within the limits of the area in which such officer exercises jurisdiction.

Powers of certain officers to investigate into offences punishable under this Act.

(2) Any such officer may exercise the same powers in respect of such investigation as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case under the provisions of Chapter XII of the Code of Criminal Procedure, 1973.

22-B. Every officer of the Police, Revenue and Excise Departments shall be bound to give immediate information to an Inspector of all breaches of any of the provisions of this Act which may come to his knowledge and upon request made by an Inspector, to aid him in carrying out the provisions of this Act and the rules made thereunder."

Duty of officers of certain departments to report offences and to assist Inspectors.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

पी० एस०यू०पी० ए०पी० 360 सा० (विधा०)—1976—750 (मे०)